न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
06/2016	2016/00011	07.10.2016	26.03.2021

श्रीमती सज्जन कुंवर पत्नि स्व. गणपत सिंह निवासी बम्बोरी तहसील छोटीसादड़ी

– प्रार्थीया

–: बनाम :–

1. श्रीमति कंकुबाई पत्नि भैरा जाति रावत निवासी बम्बोरी तहसील छोटीसादडी
2. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

– विपक्षी

अपील विरूद्ध आवंटन आदेश नियम 14/4 राजस्थान भू.राजस्व आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

1. श्री रामचन्द्र मालवीय अधिवक्ता
2. श्री अजय कुमार पिछोलिया अधिवक्ता

–: आदेश :–

दिनांक 26.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू – राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बम्बोरी की आराजी संख्या 415 रकबा 1.58 हैक्टर बिलानाम बंजड़ भूमि में से प्रशासन गॉवों के संग अभियान वर्ष 2002 के दौरान कैम्प बम्बोरी दिनांक 26.06.2002 को शिविर प्रभारी अधिकारी एवं आवंटन प्राधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़) RAS द्वारा जरिये मिशल संख्या 17/2002 के द्वारा प्रकरण की अप्रार्थीया/आवंटी श्री कंकुबाई W/O भैरा मीणा निवासी बम्बोरी को ग्राम की आराजी संख्या 415 रकबा 1.58 हैक्टर में से 0.64 हैक्टर भूमि बिना किसी युक्त आवेदन एवं कब्जा काश्त या अन्य प्राधिकार से आवंटित कर दी गई जबकि उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का विगत 40–50 वर्षो से निर्विरोध–निरन्तर कब्जा काश्त रही है तथा उक्त आवंटित भूमि से लगती हुई भूमि आराजी संख्या 414 प्रार्थीया की खातेदारी भूमि होकर आवंटित आराजी संख्या 415 में स्थित रास्त मार्ग से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर आती जाती रही है। जबकि अप्रार्थीया/आवंटी की उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त न रही है और वर्तमान में है फिर भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निराधार अप्रार्थीया/आवंटिया के पक्ष में जारी आवंटन आदेश मिशल संख्या 17/2002 दिनांक 26.06.2002 की अनुपालना में जरिये

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 06.08.2002 के द्वारा उक्त भूमि गैर खातेदारी अधिकार से अप्रार्थीया/आवंटी के नाम दर्ज की गई जो आदिनांक तक अप्रार्थीया/आवंटी के कब्जे काश्त एवं आवंटन शर्तों (आवंटन से प्रथम वर्ष में 50% काश्त एवं द्वितीय वर्ष में 100% काश्त) किया जाना अनिवार्य होने पर भी उक्त भूमि पर अप्रार्थीया/आवंटी के कब्जा काश्त अभाव के खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होकर गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र युक्ति–युक्त जानकारी दिनांक 05.09.2016 के कम में प्राप्त नकल रिकार्ड दिनांक 07.09.2016 अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अनुसार मियाद कण्डोन फरमाते हुए प्रार्थना पत्र नियम 14(4) स्वीकृत फरमाते हुए विवादित आदेश मिशल संख्या 17/2002 दिनांक 26.06.2002 के द्वारा अप्रार्थीया/आवंटिया के पक्ष में आवंटित भूमि आराजी संख्या 415/2484 रकबा 0.64 हैक्टर गैर खातेदारी को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें। साथ ही प्रकरण में भू–धारी तहसीलदार छोटीसादड़ी आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 CPC दिनांक 24.03.2017 प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार हो शामिल पत्रावली हो।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीया/आवंटी को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थीया/आवंटी कि ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार पिछोलिया उपस्थित हो जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2017 को प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। तथा नवसंयोजित अप्रार्थी संख्या–2 (भू–धारी तहसीलदार छोटीसादड़ी) की ओर से पैराकार सरकार राजस्व अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवाद्यकों के निराकरण हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सहपठित धारा 151 CPC 1908 दिनांक 12.05.2017 को प्रस्तुत किया गया नकल अप्रार्थीया/आवंटिया को उपलब्ध कराई गई जिस पर अप्रार्थीया/आवंटी के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 तथा धारा 151 CPC दिनांक14.06.2017 को प्रस्तुत किया गया तथा बहस उभयपक्ष दिनांक 08.07.2017 अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 तथा धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी से विवादित भूमि की विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 16.12.2020 को प्राप्त हो रिकार्ड पर रखी गई।

पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 उभयपक्ष सूनी गई। दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों दिनांक 05.10.2016 में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए प्राप्त मौका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 तथा आवंटन पत्रावली मिशल संख्या 17/2002 के हवाले से अवगत कराया कि अप्रार्थीया को आवंटित भूमि पर अप्रार्थीया की कोई कब्जा काश्त नहीं रहीं है तथा न आज भी है। अप्रार्थीया के आवेदन पर हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशानी नहीं होना तथा आवंटन वर्ष 2002 से आदिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त के अभाव में मात्र अवैधानिक आवंटन आदेश दिनांक 26.06.2002 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आवंटित भूमि आराजी संख्या 415/2484 रकबा 0.64 हैक्टर भूम बिना वजह अप्रार्थीया/आवंटी के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीया का विगत 40–50 वर्षो से निरन्तर निर्विरोध कब्जा काश्त होने तथा आवंटित भूमि से लगी हुई आराजी संख्या 414 प्रार्थीया की खातेदारी भूमि होकर आवंटित भूमि

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

आवंटन मिशल संख्या 17/2002 दिनांक 26.06.2002 आवंटन प्रयोजन की भावनाओं एवं प्रचलित विधियों के प्रतिकुल होने से निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियम 14(4) भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर विवादित आवंटन जरिये मिशल संख्या 17/2002 दिनांक 26.06.2002 एवं उसके अनुक्रम में निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 06.08.2002 को खारीज किये जाते है तथा तहसीलदार छोटीसादडी को निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि को विधिवत राजसात कर राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत् बिलानाम सरकार बहाल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner